

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

कलावती सरन बाल चिकित्सालय में सामाजिक कार्यकर्ता पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर
सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एवी.
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, कलावती सरन बाल चिकित्सालय में सामाजिक
कार्यकर्ता के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न हैं।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पण्धारक णियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/
भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर 30अनुभाग अधिकारी
(एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई
दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल -
कर सकते हैं।

जी.पी. सामंत
(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक : 22.7.2019

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 2019

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जा चुका है या करने का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थातः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली, सामाजिक कार्यकर्ता (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सामाजिक कार्यकर्ता	02* (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रि, अनुनासिचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहीताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहीताएं प्रोत्तर व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं हो।	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(10)	(11)	
अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारी -	
(क) (i) जो मूल काउर या विभाग में नियमित आधार पर सहशा पद धारण किए हुए हैं; या		

(ii) जिन्होंने मूल काड़र या निभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300/- रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहिताएँ और अनुभव रखता हो-

आवश्यक-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज शास्त्र या समाज कार्य या विज्ञान में स्नातक की डिग्री।
- (ii) चिकित्सा समाज कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

वांछनीय-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा समाज कार्य में विशेषज्ञता सहित समाज शास्त्र या समाज कार्य में मास्टर डिग्री।
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य में दो वर्ष का डिप्लोमा।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या किसी अन्य सांठन या निभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काड़र बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिसे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में वित्त हो गया है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्पानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, और वहाँ पह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उत्तराधिकार का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना	पर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(ट.11018/17/2019- एम एच ॥)

(जी.पी. सामंता)
अवर सचिव, भारत सरकार